"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 मई 2002 - वैशाख 25, शक 1924

गृह विभाग

(सी अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -4-65/गृह -सी/2002 -- प्रिवेन्शन आफ इलिसीट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्राफिक सब्स्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री बी.एम. टंडन, तत्कालीन जिला न्यायाधीश सतर्कता, रायपुर के स्थान पर श्री राजेश्वरलाल झंवर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक एफ -4-65/गृह-सी/2002. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह-सी/2002, दिनांक 15 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th May 2002

NOTIFICATION

No. F-4-65/Home-C/2002. - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988). The State Government hereby nominates, Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, President - District Consumer Forum, Bilaspur, member of the State Advisory Board in place of Shri B.M. Tandon the then District Judge Vigilance, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ- 4-65/गृह-सी/ 2002 . - विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री बी.एम.टंडन, तत्कालीन जिला न्यायाधीश सर्तकता, रायपुर के स्थान पर श्री राजेश्वरलाल झंवर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनीत करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक एफ- 4-65/गृह-सी/2002 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह-सी/2002, दिनांक 15 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. **विजयवर्गीय**, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th May 2002

NOTIFICATION

No. F-4-65/Home-C/2002 -In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Prevention Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974). The State Government hereby nominates, Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, President, District Consumer Forum, Bilaspur, member of the State Advisory Board in place of Shri B. M. Tandon the then District Judge Vigilance, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-65/गृह-सी/2002 -- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री. बी. एम. टंडन तत्कालीन जिला न्यायाधीश सर्तकता, रायपुर के स्थान पर श्री राजेश्वरलाल झंवर, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. **विजयवर्गीय**, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक एफ- 4-65/गृह-सी/2002 --भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह-सी/2002, दिनांक 15 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th May 2002

NOTIFICATION

No. F-4-65/ Home-C/2002 - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act. 1980 (No. 65 of 1980). The State Government hereby nominates, Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, President, District Consumer Forum, Bilaspur, member of the State Advisory Board in place of Shri B. M. Tandon the then District Judge Vigilance, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -4-65/गृह-सी/2002 - - चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री बी. एम. टंडन, तत्कालीन जिला न्यायाधीश सर्तकता, रायपुर, के स्थान पर श्री राजेश्वरलाल झंवर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर को राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक एफ -4-65/गृह-सी/2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-65/गृह-सी/2002, दिनांक 15 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 15th May 2002

NOTIFICATION

No. F-4-65/Home-C/2002 - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980). The State Government hereby nominates, Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, President, District Consumer Forum, Bilaspur, member of the State Advisory Board in place of Shri B. M. Tandon the then District Judge Vigilance, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2002.